प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 89 / 2023 (अपील सूचना का अधिकार)

गोपाल पिता गिरधारी लाल लखारा पताः 386, भोमिया जी की गली, गणेष छात्रावास के पीछे, सुन्दरवास, उदयपुर (राज0)

..............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18/09/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 23.05.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने से संतुष्ट नहीं होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 89 / 23 / 1082–83 दिनांक 23.08.2023 से लिखा गया। जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक प. / 41 / 2 / सू.अ. / प्रथम अपील / 89 / 2023 / 933 दिनांक 25.08.2023 से जवाब प्रस्तत कर कार्यालय का अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना बिन्दु संख्या ए की सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 727 दिनांक 12.07.2023 से जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवा दी गई है। बिन्दु संख्या –बी की सूचना का संबंध अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय उदयपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 616–17 दिनांक 26.06. 2023 से अंतरित कर दी गई है एवं बिन्दु संख्या–सी का संबंध आयुक्त नगर निगम, उदयपुर से होने से पत्रांक 618–19 दिनांक 26.06.2023 से अंतरित कर दी गई है साथ ही प्रार्थी को भी सूचित कर दिया गया है। अतः प्रथम अपील निरस्तारित करने की कृपा करावे।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई है। बिन्दु संख्या ए की सूचना अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 727 दिनांक 12.07.2023 से उपलब्ध करवा दी गई हैं। बिन्दु संख्या बी एवं सी का संबध लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर उदयपुर के कार्यालय से नहीं होने से बिन्दु संख्या बी की सूचना हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय उदयपुर को जरिये पत्रांक 616–17 दिनांक 26.06.2023 से अंतरित किया गया एवं बिन्दु संख्या सी की सूचना हेतु आयुक्त नगर निगम, उदयपुर को जरिये पत्रांक 618–19 दिनांक 26.06.2023 से अंतरिण किया गया। जिससे प्रार्थी को भी अवगत करवा दिया गया।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा चाही गई उक्त बिन्दु संख्या बी एवं सी का अंतरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(ii) के अनुसार निर्धारित समयावधि 5 दिवस में नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, उदयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही बिन्दु संख्या बी एवं सी की वांछित सूचना संबंधित लोक अधिकरण से प्राप्त कर अपीलार्थी को उपलब्ध करावे। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर